UPME040813252022

Final Report/2449/2022
IN THE COURT OF
Spl.Chief Judicial Magistrate AT ,Meerut
Presided Over by Shri Shailesh Pandy

सन्नो बनाम अनीस

अपराध संख्या 358/2018
धारा 452,354,376,511 भा0दं0सं0
थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ।
एफ आर नम्बर 145/2018

दिनांक 11.09.2024

आज यह पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादनी मुकदमा सन्नो पत्नी जकी मय विद्वान अधिवक्ता हाजिर है। वादी मुकदमा की ओर से आवेदन मय शपथ पत्र इस आशय का दिया गया है कि उक्त मामले में विवेचक द्वारा जो अन्तिम आख्या दाखिल की गयी है उससे वह पूरी तरह सन्तुष्ट है। वादनी की ओर से कहा गया कि उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम आख्या को स्वीकार किया जाये। वादनी का बयान भी अंकित किया गया है।

अन्तिम आख्या के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा साक्ष्य के अभाव में अन्तिम आख्या दाखिल की है जिस पर वादी की ओर से कोई आपत्ति नही किये जाने का पृष्ठांकन किया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियो में वाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य व आधार नही है। अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

–

(शैलेश पाण्डेय,)
विशेष मुख्य न्यायिक मजि0
मेरठ
जे0ओ0कोड–यूपी–2093